

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—स्वा./क्षय/संस्था/(बी-259)/2018/

दिनांक:—

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ11--(7)एफ.डी/नियम /2008 दिनांक 12.09.08 एवं प0 11(7) वित्त (नियम)/2008 पार्ट-1 दिनांक 06.10.2008 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री गोपीलाल लोधा, बीसीजी टैक्नीशियन, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

नाम कर्मचारी	पदस्थापन जिला	संवर्ग में प्रथम नि० तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	एसीपी देय तिथि	18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पै बैंड व ग्रेड पे
श्री गोपीलाल लोधा, बीसीजी टैक्नी.	टोंक	21.06.1989	21.06.2007 (18 वर्ष)	21.06.08	पै बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 2400

नोट:— कार्मिक को निदेशालय के आदेश क्रमांक: 479 दिनांक: 01.05.2009 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण ए.सी.पी का लाभ एक वर्ष पश्चात् दिनांक: 21.06.2008 से देय होगा।

sl
(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—स्वा./क्षय/संस्था/(बी-259)/2018/462

दिनांक:— 8/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 840 दिनांक 24.07.2018 के सन्दर्भ में *प्रेषित करने हेतु कार्मिक की सेवा पूर्णता का संतुष्ट कर निवेदन जारी है।*
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, टोंक।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. ~~प्रभारी~~, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश पत्रावली।

sl
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।